इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2020—कार्तिक 22, शक 1942

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

अधि.क्र. 395—एफ—1—246—2020—अठारह—3.— भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (कमांक 23 सन् 1956) की धारा 138 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 126 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संपत्ति कर की गणना के प्रयोजन के लिए कर योग्य सम्पत्ति मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (भवनों एवं भूमियों के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961;

(ख) **"उपाबंध"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(ग) **"वार्षिक भाड़ा मूल्य"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका (भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 5 के अधीन निर्धारित वार्षिक भाड़ा मूल्य ;

(घ) **"कर निर्धारण प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ङ) **"कलक्टर"** से अभिप्रेत है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) में यथा विनिर्दिष्ट कलक्टर;

(च) **"कलक्टर गाइडलाइन"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश बाज़ार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धातों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 के उपबंधों के अधीन कलक्टर द्वारा जारी भवनों तथा भूमियों के बाज़ार मूल्य को निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शिका;

(छ) **"व्यावसायिक या औद्योगिक"** से अभिप्रेत है, ऐसे भवन या भूमि जिस पर कोई कारोबार किया जाता है, दुकान चलाई जा रही है, कारखाना स्थापित है, व्यापार, धन्धा किया रहा है या किसी प्रकार की कोई अन्य समकक्ष गतिविधियां संचालित की जा रही हैं या ऐसी गतिविधियों के लिए संरक्षित है;

(ज) **"निर्मित क्षेत्र"** से अभिप्रेत है, भवन के स्वामी के स्वामित्व के भवन के प्रत्येक तल पर निर्मित क्षेत्र;

(झ) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद्;

(ञ) **"नगरपालिका अधिकारी"** से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की दशा में नगरपालिका आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नगरपालिक निगम का कोई अधिकारी या सेवक तथा नगरपालिकाओं तथा नगर परिषदों की दशा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संबंधित नगरपालिका या नगर परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक;

(ट) **"आवासीय"** से अभिप्रेत है, आवासीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित कोई भूमि या आवासीय उपयोग हेतु निर्मित कोई भवन, जिनका उपयोग आवासीय प्रयोजन से ही किया जा रहा है, परन्तु इसमें ऐसा कोई भवन सम्मिलित नहीं होगा, जो निर्मित आवासीय प्रयोजन से है किन्तु उनका उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन से किया जा रहा है;

(ठ) **"कर योग्य संपत्ति मूल्य"** से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 5 के अधीन निर्धारित कर योग्य संपत्ति मूल्य;

(ड़) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष जो एक अप्रैल से प्रांरभ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा।

3. **नगरपालिका क्षेत्र का वर्गीकरण.**— प्रत्येक नगरपालिका सुसंगत वर्ष के लिए कलक्टर के मार्गदर्शन के अधीन निर्धारित संबंधित जिले के क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार नगरपालिक क्षेत्रों को वगीकृत करेगी:

परन्तु, किसी क्षेत्र के वर्गीकरण में अस्पष्टता होने की दशा में कलक्टर के मतानुसार वर्गीकरण विधिमान्य होगा।

4. **भवन तथा भूमियों का वर्गीकरण.**— प्रत्येक नगरपालिका सुसंगत वर्ष के लिए कलक्टर के मार्गदर्शन के अधीन निर्धारित भवन तथा भूमियों के वर्गीकरण के अनुसार नगरपालिक क्षेत्र में अवस्थित भवन तथा भूमि को वर्गीकृत करेगी:

परन्तु, किसी क्षेत्र के वर्गीकरण में अस्पष्टता होने की दशा में कलक्टर के मतानुसार वर्गीकरण विधिमान्य होगा।

5. **कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण.**— प्रत्येक नगरपालिका द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित प्रत्येक भवनों तथा भूमियों के लिए कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा—

(1) इन नियमों के अधिसूचित होने के वर्ष में, भवन या भूमि का कर योग्य सम्पत्ति मूल्य उक्त भवन या भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य के बराबर होगा।

(2) भवन या भूमि के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य में न्यूनतम वृद्धि आगामी वर्ष में विगत वर्ष की कलक्टर गाइडलाइन में निर्धारित भवन या भूमि के बाजार मूल्य में वर्तमान वर्ष में हुई प्रतिशतता वृद्धि के अनुरूप, जैसा कि उपाबंध—1 के उदाहरण में दर्शाये अनुसार होगा:

परन्तु यह कि यदि वर्तमान वर्ष में कलक्टर गाइडलाइन के अधीन भूमि या भवन के बाजार मूल्य में विगत वर्ष से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो कर योग्य संपत्ति मूल्य में अधिकतम 10 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि कलक्टर गाइडलाईन में कमी होने पर या वृद्धि न होने पर कर योग्य संपत्ति मूल्य विगत वर्ष के अनुसार ही रहेगा।

(3) (क) इन नियमों के अधिसूचित होने के पश्चात्, नगरपालिका की सीमा में नवनिर्मित भवन का कर योग्य संपत्ति मूल्य उप–नियम (1) में परिभाषित उक्त क्षेत्र के वार्षिक भाड़ा मूल्य के अनुसार निर्धारित होगा तथा उक्त के अनुसार किसी वर्ष के लिए कर योग्य संपत्ति मूल्य की गणना की जाएगी ;

(ख) इन नियमों के अधिसूचित होने के पश्चात् ऐसी भूमि तथा भवन जिनका कर योग्य सम्पत्ति मूल्य नगरपालिका द्वारा पूर्व से निर्धारित नहीं किया गया हो, का कर योग्य संपत्ति मूल्य उप–नियम (1) में परिभाषित उक्त भवन एवं भूमि के निकटस्थ क्षेत्र में कर योग्य सम्पत्ति मूल्य जैसा कि नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा जैसा कि कर योग्य सम्पत्ति मूल्य किसी वर्ष के लिए तद्नुसार गणना की जाएगी ;

(ग) नगरपालिका क्षेत्र की वृद्धि होने पर नगरपालिका सीमा में सम्मिलित होने वाले भवन एवं भूमि का कर योग्य संपत्ति मूल्य उप–नियम (1) में परिभाषित उक्त भवन एवं भूमि के निकटस्थ क्षेत्र के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य, के अनुसार नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा कर योग्य संपत्ति मूल्य किसी वर्ष के लिए तद्नुसार गणना की जाएगी।

6. **नगरपालिका द्वारा संकल्प का अंगीकरण.**– प्रत्येक नगरपालिका द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से अधिकतम एक महीने के भीतर निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुए एक संकल्प अंगीकृत करना अनिवार्य होगा–

(एक) नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 135 के उपबंधों के अधीन नगरपालिक निगम की दशा में एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127–क के अधीन नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद की दशा में संपत्ति कर की ऐसी दरों का निर्धारण, जो कर योग्य सम्पत्ति मूल्य के छह प्रतिशत से कम तथा दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(दो) नियम 5 के अधीन भवनों तथा भूमियों का कर योग्य सम्पत्ति मूल्य के दरों का निर्धारण करने के प्रयोजन से भवनों के निर्मित क्षेत्र के लिए वार्षिक प्रतिवर्ग मीटर तथा भूमियों के क्षेत्र के लिए वार्षिक प्रतिवर्ग मीटर का निर्धारण;

(तीन) उस तारीख का निर्धारण जिसके भीतर भवन या भूमि के स्वामियों द्वारा विवरणी तथा संपत्तिकर की रकम का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(चार) खण्ड (तीन) के अधीन नियत की गई तारीख के भीतर संपत्तिकर की रकम के साथ विवरणी प्रस्तुत न करने पर देय अधिभार (सरचार्ज) की दर का निर्धारण।

7. **संकल्प के अंगीकृत नही होने के दशा में विगत वर्ष की दरों का विद्यमान रहना .–** यदि किसी वर्ष में नगरपालिका नियम 6 के उपबंधों के अधीन संकल्प अंगीकरण नहीं करती है, तो भवनों/भूमियों के स्वामी विगत वर्ष की दरों के आधार पर विवरणी के साथ कर की रकम अंतरिम रूप से जमा करेंगे और चालू वर्ष के लिए दरों की घोषणा की जाने पर अंतर की रकम, यदि कोई हो, के साथ पुनरीक्षित विवरणी जमा की जाएगी।

8. **संकल्प का प्रकाशन.–** जैसे ही नगरपालिका द्वारा नियम 6 के अधीन संकल्प का अंगीकरण किया जाता है, नगरपालिका अधिकारी द्वारा नागरिकों की जानकारी के लिए संकल्प को नगरपालिका की वेबसाईट पर तथा कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिनका प्रसारण नगरपालिका क्षेत्र में हो साथ ही ऐसे संकल्प की प्रतियां नागरिकों के अवलोकनार्थ नगरपालिका के सभी कार्यालयों में रखी जाएंगी।

9. **कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की गणना .–** नियम 5 के अधीन निर्धारित दरों के आधार पर कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की गणना की जाकर उसमें से निम्नलिखित कटौती के पश्चात् जो शुद्ध कर योग्य सम्पत्ति मूल्य आएगा, उस पर नियम 6 में नियत की गई दर के अनुसार यथास्थिति नगरपालिक निगमों की दशा में अधिनियम की धारा 136 के उपबंधों के अध्यधीन तथा नगरपालिक परिषद् तथा नगर परिषदों की दशा में अधिनियम की धारा 127–क की उप–धारा (2) के अध्यधीन रहते हुए संपत्तिकर देय होगा ।

भवनों के रखरखाव के प्रयोजन के लिए दस प्रतिशत, यह और भी कि यदि किसी भवन स्वामी द्वारा अपने किसी भवन में जल पुनर्भरण, भू–जल संवर्धन या धूसर जल पुनर्चक्रण के लिए योग्य तकनीकी उपकरण लगाए जाते हैं, तब ऐसे भवन के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य में भवनों के रख–रखाव के प्रयोजन से निर्धारित 10 प्रतिशत कटौती के उपरांत 6 प्रतिशत की और कटौती की पात्रता उस वर्ष के लिए मान्य की जाएगी, जिस वर्ष में ऐसे तकनीकी उपकरण लगाए गए हों।

10. **संपत्ति कर का स्व–निर्धारण.–**

(1) नगरपालिक क्षेत्र का प्रत्येक भवन या भूमि स्वामी अपनी संपत्ति के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य और उस पर देय संपत्ति कर की रकम की गणना, नियम 8 के उपबंधों के अनुसार नगरपालिका द्वारा प्रकाशित संकल्प में वर्णित कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की दर के अनुसार स्वयं करेगा और देय संपत्ति कर की रकम में नगरपालिक निगम की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 की उप–धारा (5) तथा नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 की उप–धारा (5) के अधीन निर्धारित दर पर सामान्य स्वच्छता कर,

सामान्य प्रकाश कर तथा सामान्य अग्निकर की समेकित रकम तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य उपकरों को जोडते हुए, इन नियमों के संलग्न विवरणी में जानकारी अंकित कर उल्लिखित करों तथा उपकरों की समेकित रकम विहित समय सीमा के भीतर विवरणी सहित नगरपालिका में जमा करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति नगरपालिक क्षेत्र में एक से अधिक भवन या भूमि का स्वामी है, तब ऐसा प्रत्येक स्वामी अपने प्रत्येक भवन या भूमि के लिए पृथक्–पृथक् विवरणी सहित कर की रकम का भुगतान करेगा, परन्तु नगरपालिक निगमों की दशा में धारा 136 के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन तथा नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् की दशा में धारा 127–क की उप–धारा (2) के खंड (ख) उपबंधित छूट के प्रयोजन के लिए उसके समस्त भवनों या भूमियों या दोंनो के संकलित कर योग्य सम्पत्ति मूल्य को ही आधार माना जाएगा। उपरोक्तानुसार जिस तारीख को विवरणी प्रस्तुत की गई हो, उस तारीख से साठ दिनों के भीतर यदि भवन या भूमिस्वामी उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में कोई त्रुटि पाई जाती है तब ऐसा भवन या भूमिस्वामी पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा और यदि पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार संपत्तिकर की रकम अधिक होती है तब पुनरीक्षित विवरणी के साथ ऐसी रकम नगरपालिका में जमा करेगाः

परन्तु यदि पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार पूर्व में जमा की गई संपत्तिकर की रकम अधिक थी, तब वह ऐसी अधिक रकम को वापस करने की मांग कर सकेगा, जिस पर संवीक्षा करने के पश्चात् यदि मांग सही पाई जाती है, तब ऐसी अधिक रकम वापस करने या आगामी वर्ष में समायोजन के आदेश नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे।

11. **कर की रकम जमा करने के लिए पद्धति घोषित करना.–** प्रत्येक नगरपालिका सम्पत्ति कर की रकम जमा करने के लिए विभिन्न पद्धति यथा ऑनलाइन, काउंटर या नामनिर्दिष्ट एजेंसियां तथा बैंकों की शाखाएं आदि घोषित करेगी ।

12. **विवरणी की संवीक्षा.–** नियम 10 के अधीन प्राप्त विवरणी की संवीक्षा पर यदि नगरपालिका अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि उसमें वर्णित कोई जानकारी सही नहीं है या शंकास्पद है या किसी अन्य कारण से कर योग्य संपत्ति मूल्य का पुनर्निर्धारण आवश्यक समझा जाता है, तब अधिनियम के उपबंधों के अधीन नगरपालिक अधिकारी द्वारा कर योग्य संपत्ति मूल्य के पुनर्निर्धारण के लिए कार्रवाई की जा सकेगीः

परन्तु पुनर्निर्धारण में किसी ओर से दस प्रतिशत की फेरफार को ध्यान में नहीं लिया जाएगा किन्तु जहां फेरफार दस प्रतिशत से अधिक हो, वहां यथास्थिति, ऐसी शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा, जो ऐसे स्वामी द्वारा किए गए स्वनिर्धारण तथा नगरपालिका द्वारा किए गए पुनर्निर्धारण के अंतर की रकम के पांच गुने के बराबर होगीः

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक के अधीन नगरपालिका अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील उक्त आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर नगरपालिक निगम की दशा में मेयर–इन–कौंसिल तथा नगरपालिका

परिषद् एवं नगर परिषद् की दशा में प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल को की जा सकेगी, जिस पर यथास्थिति, मेयर–इन–कौंसिल या प्रेसीडेन्ट–इन–कौंसिल द्वारा संबंधित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् अपना विनिश्चय दिया जाएगा, जो अंतिम होगा:

परन्तु यह और भी कि नियम 10 के अधीन जमा की गई विवरणी की संवीक्षा, विवरणी की प्राप्ति से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर या आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व, जो भी पूर्ववत्त हो, की जा सकेगी। उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् विवरणी की समीक्षा नहीं की जाएगी।

13. **विवरणी के प्रस्तुत न करने पर प्रक्रिया.–** यदि कोई भवन या भूमि स्वामी नियत तारीख के भीतर विवरणी सहित कर की रकम नगरपालिका में जमा नहीं करता है तब कर योग्य रकम पर नियम 6 के अधीन निर्धारित दर पर अधिभार (सरचार्ज) देय होगा।

14. **करदाताओं को सम्पत्ति कर के खाते के ब्यौरे उपलब्ध कराना.–** प्रत्येक सम्पत्ति करदाता को यथासम्भव प्रत्येक नगरपालिका द्वारा ऑनलाईन उसकी संपत्ति करदाता के ब्यौरे, उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। खाते में बकाया संपत्ति कर की रकम एवं किसी भी कालावधि के दौरान बकाया कर के विरूद्ध निर्मित भुगतान के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

15. **निरसन.–** मध्यप्रदेश राजपत्र में, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त समस्त नियम, उप–नियम, उपविधियां, आदेश आदि, यदि कोई हों, निरसित हो जाएंगे:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों, के अधीन कोई नियम, उप–नियम, उपविधियां या किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

उपाबंध–एक

(नियम 5 देखिए)

अधिसूचना वर्ष :कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण

अधिसूचना वर्ष	भवन एवं भूमि का कर योग्य सम्पत्ति मूल्य (रुपये/वर्ग मी0) = वर्तमान वर्ष का वार्षिक भाड़ा मूल्य (रुपये/वर्ग मी0)
2020–21	170 (यदि अधिसूचना वर्ष में वार्षिक भाड़ा मूल्य 170 रुपये प्रति वर्गमीटर हो तो)

आगामी वर्ष के लिए कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण

वर्ष	कलक्टर गाईडलाईन में निर्धारित भवन का बाजार मूल्य (रुपये/वर्ग मी0)	बाजार मूल्य में वृद्धि (प्रतिशत)	कर योग्य सम्पत्ति मूल्य (रुपये/वर्ग मी0)
2019–20	42800		
2020–21	46500	12.85	170
2021–22			192

परिशिष्ट

(नियम 10(1) देखिए)

संपत्तिकर के स्वनिर्धारण के लिए विवरणी वर्ष

1.	संपत्ति के स्वामी का नाम (पिता/पति के नाम सहित एवं स्थायी पता दूरभाष नं. यदि हो)	
2.	संपत्ति कहां स्थित है का पूरा पता	
3.	निर्मित क्षेत्र [नियम 2 (छ)]	
4.	भवन पक्का है या कच्चा है	
5.	संपत्ति आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक है [नियम 2(ज) तथा 2(झ)]	
6.	खुली भूमि का क्षेत्र, (नियम 4)	
7.	कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की गणना के लिए नगरपालिका द्वारा निर्धारित जो प्रासंगिक हो, प्रति वर्ग मीटर वार्षिक दर, [नियम 6(1)]	
8.	गणन किया गया कर योग्य सम्पत्ति मूल्य (नियम 9)	
9.	भवन तथा भूमियां जो विधवाओं या अवयस्कों या ऐसे व्यक्तियों के जो कि ऐसी शारीरिक निःशक्तता या मानसिक दौर्बल्य के अध्यधीन हो, जिनके कारण वे अपनी आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ हों, स्वामित्व की हों, जहां कि ऐसी विधवाओं या अवयस्कों या व्यक्तियों के भरण–पोषण का प्रमुख स्त्रोत ऐसे भवनों तथा भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा हो, के लिए छूट।	
10.	भवनों के रख रखाव तथा रूफ वाटर हॉर्वेसटिंग के लिए कटौती (यदि लागू हों)	
11.	भवन तथा भूमि, भू–स्वामी के निवास हेतु प्रयोग में लायी जा रही है, तो कर योग्य सम्पत्ति मूल्य में पचास प्रतिशत की छूट।	
12.	उपरोक्त नियम 9, 10 तथा 11 के अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 136 या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127–क के अधीन दी गयी छूट के ब्यौरे दे।	
13.	कर योग्य सम्पत्ति मूल्य पर देय संपत्ति कर (नियम 10)	
14.	सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाश कर व सामान्य अग्नि कर की समेकित रकम (शासन द्वारा विहित न्यूनतम रकम + नगरपालिका द्वारा निर्धारित संपत्तिकर के प्रतिशत की रकम)	
15.	शिक्षा उपकर (जैसा कि परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए)	
16.	नगरीय विकास उपकर (जैसा कि परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए)	
17.	सरचार्ज की रकम, यदि देय हो	
18.	नगरपालिक कोष में भुगतान की जा रही कुल रकम	

	(13+14+15+16+17) का योग (अंकों तथा शब्दों में)	
टीपः–(1) विवरणी में यथा संदर्भित नियमों के उद्धरण अगले पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं, (2)प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग–अलग विवरणी प्रस्तुत हों।		

....

संपत्ति के स्वामी/धारक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ....आत्मज ....निवासी ....यह सत्यापित करता हूं कि विवरणी में दी गई जानकारी सही है और यह कि मैंने जिस भवन/भूमि के संबंध में विवरणी दी गई है, उसका मैं स्वामी हूं।

....

(संपत्ति के स्वामी/धारक के हस्ताक्षर)

रसीद

वर्ष ....से संबधित विवरणी और भुगतान की गई रकम की रसीद/चालान की प्रति सहित प्राप्त

....

प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

(पूरा नाम व पदनाम् भी दर्शित किया जाए)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

अधि.क्र. 394–एफ–1–250–2020–अठारह–3.– भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 132 क के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 127–ख के साथ पठित धारा 355 व 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार के अधिरोपण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ:–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (जलप्रदाय, मलजल, तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार) नियम, 2020 है।

(2) इनका विस्तार सभी नगरपालिक निगमों, नगरपालिकाओं तथा नगर परिषदों पर होगा।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.– (1)** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961;

(ख) **"उपाबंध"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(ग) **"बिल"** से अभिप्रेत है, कोई समेकित भौतिक या इलेक्ट्रानिक दस्तावेज, जो नगरपालिका द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार, अन्य शुल्क तथा अधिभार की समेकित मांग दर्शाता है;

(घ) **"बिलिंग चक्र"** से अभिप्रेत है, वह अवधि जिसके लिए बिल जारी किया गया है;

(ड.) **"थोक अपशिष्ट उत्सर्जक"** से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 3(1) (8) के अधीन परिभाषित थोक अपशिष्ट उत्सर्जक या नगरपालिका द्वारा अधिसूचित थोक अपशिष्ट उत्सर्जक;

(च) **"निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट"** से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम 3(1) (ग) में परिभाषित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट;

(छ) **"नगरपालिका"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम अथवा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद्;

(ज) **"नगरपालिका अधिकारी"** से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की दशा में नगरनिगम आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संबंधित नगरपालिक निगम का कोई अधिकारी या सेवक तथा नगरपालिका व नगर परिषद की दशा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संबंधित नगरपालिका या नगर परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक;

(झ) **"विहित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं पर आकलित वार्षिक व्यय को अनुमोदित करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञों की समिति;

(ञ) **"सार्वजनिक स्थल"** से अभिप्रेत है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए खुला है, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो अथवा नहीं;

(ट) **"स्पॉट फाईन"**से अभिप्रेत है, इन नियमों के उपाबंध "2" में यथा उल्लिखित किसी कृत्य के लिए अधिरोपित कोई शुल्क जो तत्काल देय होगा;

(ठ) **"अस्थाई जल संयोजन"** से अभिप्रेत है, अस्थाई प्रयोजन के लिए दिया गया संयोजन;

(ड) **"अनधिकृत संयोजन"** से अभिप्रेत है, कोई संयोजन जो जल प्रदाय प्रणाली या मलजल प्रणाली से नगरपालिका की बिना अनुमति और/या बिना आवश्यक शुल्क के भुगतान के या उक्त विहित उपबंधों के विरूद्ध लिया गया है;

(ढ) **"उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132—क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 धारा 127—ख में वर्णित सेवाओं का उपयोग करता है;

(ण) **"उपभोक्ता प्रभार"** से अभिप्रेत है, जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं पर उपगत व्यय की शत प्रतिशत वसूली के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132—क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127—ख के उपबंधों के अधीन अधिरोपित प्रभार।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा कि सामान्यतः या विशिष्टतः नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 तथा केन्द्र सरकार के अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और निर्माण एवं विध्वंस नियम, 2016 में उनके लिए समनुदेशित किया गया है।

जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों की दरों का निर्धारण: प्रत्येक नगरपालिका, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132—क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127—ख के उपबंधों के अधीन जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरों का निर्धारण निम्नानुसार करेगी : —

(एक) नियम 4 में उल्लिखित मदों पर स्थानीय निधि संपरीक्षा अथवा सनदी लेखाकार (चार्टेड एकाउण्टेंट) द्वारा अंकेक्षित वास्तविक व्यय के आधार पर सेवाओं के लिए जलप्रदाय उपभोक्ता प्रभार की गणना इस रीति में की जाएगी कि जलप्रदाय सेवाओं पर उपगत वार्षिक व्यय की शत प्रतिशत वसूली हो सके ।

(दो) नियम 5 में उल्लिखित मदों पर अंकेक्षित वास्तविक व्यय के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता प्रभार की गणना इस रीति में की जाएगी कि ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर उपगत वार्षिक व्यय की शत प्रतिशत वसूली हो सके ।

(तीन) मलजल प्रभार, जलप्रदाय सेवाओं के लिए निर्धारित उपभोक्ता प्रभार का न्यूनतम 60 प्रतिशत होगा।

(चार) फीकल (मल) सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए उपभोक्ता प्रभार, जलप्रदाय सेवाओं के लिए निर्धारित उपभोक्ता प्रभार का न्यूनतम 40 प्रतिशत होगा:

परन्तु नगरपालिका द्वारा निर्धारित जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरें विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्यय की वसूली हेतु आकलित न्यूनतम दर से कम नहीं होगी:

परन्तु, यह और कि उपरोक्त के संबंध में, विशेष परिस्थितियों में, राज्य शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपभोक्ता प्रभार का निर्धारण किया जा सकेगा जो बाध्यकारी होगा:

परन्तु यह और भी कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132—क की उप—धारा (2) के खण्ड (दो) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 धारा 127—ख की उप—धारा (2) के खण्ड (दो) के उपबंधों के अधीन नगरपालिका उपभोक्ता प्रभार के अतिरिक्त सम्पत्ति कर का निश्चित प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के रुप में आरोपित कर सकेगी:

परन्तु यह और भी कि इन नियमों के लागू होने के परिणामस्वरूप यदि प्रचलित उपभोक्ता प्रभार की दरों में दो गुने से अधिक वृद्धि होती है तब ऐसी अतिरिक्त वृद्धि आगामी तीन वर्षों में चरणवार इस रीति से की जाएगी कि तीसरे वर्ष तक उप—खण्ड (एक) एवं (दो) के अनुसार सेवाओं पर उपगत वार्षिक व्यय की शत प्रतिशत वसूली हो।

टीप: जलप्रदाय के लिए उपभोक्ता प्रभार की गणना उपाबंध 1 में दिए गए उदाहरण के अनुसार की जाएगी।

4. जलप्रदाय तथा मलजल सेवाओं के संचालन एवं संधारण पर व्यय के निर्धारण के लिए विचार में लिए जाने वाले मदः—

प्रत्येक नगरपालिका जलप्रदाय तथा मलजल सेवाओं के संचालन एवं संधारण पर होने वाले वार्षिक व्यय का निर्धारण निम्न मदों को दृष्टिगत रखते हुए पृथक्–पृथक् करेगीः—

(एक) संबधित शाखा के कर्मचारियों का वेतन तथा स्थापना संबंधित अन्य व्यय;

(दो) विद्युत व्यय;

(तीन) रासायनिक उपचार पर व्यय;

(चार) अनुपचारित पानी का मूल्य;

(पांच) एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, इन्टेक वेल, पम्प, पाइप, ओवरहेड टैंक एवं संलग्न मशीनरी के संधारण पर वार्षिक व्यय;

(छह) टयूबवेल के संचालन एवं संधारण पर व्यय;

(सात) यदि नगरपालिका ने सेवाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ऋण लिया है, तो ऋण के पुनर्भुगतान की वार्षिक राशि;

(आठ) परिवहन व्यय;

(नौ) जन निजी भागीदारी अथवा बाह्रय सेवा प्रदाता की सेवाएं लिए जाने की दशा में संचालन एवं संधारण पर व्यय;

(दस) सेवाओं से सम्बधित कोई अन्य व्यय।

5. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के संचालन एवं संधारण पर व्यय के निर्धारण के लिए विचार में लिए जाने वाले मदः** प्रत्येक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के संचालन तथा संधारण पर होने वाले वार्षिक व्यय का निधारण निम्न मदों को दृष्टिगत रखते हुए पृथक्–पृथक् करेगीः—

(एक) संबधित शाखा के कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधित व्यय;

(दो) विद्युत व्यय;

(तीन) रासायनिक उपचार पर व्यय;

(चार) यदि नगरपालिका ने सेवाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ऋण लिया है तो ऋण के पुनर्भुगतान की वार्षिक राशि;

(पांच) मशीनरी के संधारण पर व्यय;

(छह) ठोस अपशिष्ट संग्रह पर व्यय;

(सात) ठोस अपशिष्ट परिवहन पर व्यय;

(आठ) ठोस अपशिष्ट अलगाव (segregation) पर व्यय;

(नौ) ठोस अपशिष्ट निपटान पर व्यय;

(दस) जन निजी भागीदारी अथवा बाह्य सेवा प्रदाता की सेवाएं लिए जाने की दशा में संचालन एवं संधारण पर व्यय;

(ग्यारह) सेवाओं से सम्बधित कोई अन्य व्यय।

6. **अतिरिक्त शुल्क एवं अधिभार:**— प्रत्येक नगरपालिका नियम 3 के अधीन निर्धारित उपभोक्ता प्रभार के अतिरिक्त निम्न शुल्क एवं अधिभार आरोपित करेगी.—

(एक) पंजीयन शुल्क;

(दो) सुरक्षा राशि;

(तीन) सड़क कटाई एवं मरम्मत पर व्यय;

(चार) संयोजन शुल्क;

(पांच) विसंयोजन शुल्क;

(छह) मीटर सुरक्षा हेतु शुल्क;

(सात) मीटर का किराया एवं संधारण प्रभार;

(आठ) मीटर जांच शुल्क;

(नौ) उपभोक्ता प्रभार के विलंबित भुगतान पर अधिभार;

(दस) शासन द्वारा निर्धारित किया जाने वाला कोई अन्य शुल्क:

परन्तु राज्य शासन उपरोक्त के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शुल्क/प्रभार का निर्धारण कर सकेगी, जो बाध्यकारी होगा।

7. **विहित प्राधिकारी की नियुक्ति, कर्तव्य तथा शक्तियां:**— राज्य शासन इन नियमों के उपबंधों के अधीन उपभोक्ता प्रभार की गणना के उद्देश्य से नियम 4 एवं 5 में उल्लिखित मदों के आधार पर नगरपालिका द्वारा आकलित वार्षिक व्यय के अनुमोदन हेतु एक विहित प्राधिकारी अर्थात् निम्नानुसार पाँच विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा —

(1) नगर निगमों के संबंध में—(राज्य स्तर पर)

(एक) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी— अध्यक्ष

(दो) संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा—सदस्य

(तीन) संयुक्त संचालक (वित्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय— सदस्य

(चार) आयुक्त, संबंधित नगरपालिक निगम—सदस्य

(पांच) प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय— सदस्य सचिव

(2) नगरपालिका परिषदों/नगर परिषदों के संबंध में—

(एक) संबंधित संभागीय आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी — अध्यक्ष

(दो) संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा—सदस्य

(तीन) संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास – सदस्य

(चार) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, संबंधित नगरपालिका/नगर परिषद–सदस्य

(पांच) संबंधित अधीक्षण यंत्री, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास –सदस्य सचिव

उपभोक्ता प्रभार की गणना के प्रयोजन से जलप्रदाय, मलजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियम 4 एवं 5 में उल्लिखित मदों पर आकलित वार्षिक व्यय की जानकारी नगरपालिका द्वारा समिति को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम से कम 4 माह पूर्व उपलब्ध करवाई जाएगी।

समिति, नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का परीक्षण करने के पश्चात् व्यय का अनुमोदन करेगी।

समिति, नगरपालिका से नियम 4 एवं 5 में उल्लिखित मदों पर हुए व्यय के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगी।

समिति, नगरपालिका से उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के एक माह के भीतर आवश्यक रूप से यथावश्यक बैठक आयोजित कर व्यय का अनुमोदन करेगी। निर्धारित समय–सीमा में समिति की बैठक आयोजित कर कार्यवाही करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा अनुमोदित व्यय उपभोक्ता प्रभार की गणना के लिए निर्णायक आधार होगा।

8. **उपभोक्ताओं का वर्गीकरणः–** उपभोक्ताओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगाः–

श्रेणी	विवरण
क	आवासीय इकाईयां
ख	गैर आवासीय इकाईयां
ग	औद्योगिक इकाईयां
घ	शासकीय एवं अर्ध शासकीय इकाईयां

परन्तु नगरपालिका उनकी आवश्यकतानुसार उपरोक्त श्रेणियों को और उप–श्रेणियों में विभाजित कर सकती है।

नगरपालिका द्वारा संकल्प का अंगीकरण.– प्रत्येक नगरपालिका संकल्प द्वारा, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलनों को अंतिम रूप से अंगीकार करते समय, ऐसी सीमाओं तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, नगरपालिक निगमों की दशा में नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132–क तथा नगरपालिक परिषदों/नगर परिषदों की दशा में नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127–ख के अधीन इन नियमों के अनुसार, उपभोक्ता प्रभार की श्रेणीवार दरों, सेवाओं से सम्बंधित अन्य फीस एवं अधिभार को निर्धारित करेगी :

परन्तु, किसी वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता प्रभारों/फीस की दरें विगत वर्ष से कम नहीं हो सकेंगी:

परन्तु यह और भी कि इन नियमों के प्रवृत्त होने के वर्ष में, उपभोक्ता प्रभार की दरें नियम 3 के प्रथम परन्तुक के अधीन निर्धारित की जाएंगी।

10. **संकल्प का अंगीकरण नहीं किए जाने की दशा में प्रक्रिया.–** यदि किसी वर्ष में नगरपालिका 31 मार्च तक नियम 9 के अधीन संकल्प को अंगीकार नहीं करती है, तब मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर परिषद्/अध्यक्ष परिषद् के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकरणों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 के नियम 12 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

11. **उपभोक्ता प्रभार आदि की दरों का प्रकाशन.–** नियम 9 के अधीन नगरपालिका द्वारा संकल्प के अंगीकरण पर, नगरपालिका अधिकारी द्वारा नागरिकों की जानकारी हेतु दरों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। सुसंगत जानकारी कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी तथा नगरपालिका कार्यालय के सूचना पटल पर, वेबसाईट पर तथा अन्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी।

12. **उपभोक्ता प्रभारों के बिलिंग चक्र तथा वसूली प्रणाली.–**

(1) प्रत्येक नगरपालिका उपभोक्ता प्रभारों के बिलिंग चक्र तथा वसूली प्रणाली को निर्धारित करेगी तथा उपभोक्ता प्रभारों को ऑनलाईन या किसी अभिकरण (एजेन्सी) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से जमा करने की प्रणाली की घोषणा करेगी।

(2) किसी भवन या भूमि का मिश्रित उपयोग होने की दशा में, जल प्रदाय के लिए उपभोक्ता प्रभार उक्त संयोजन के लिए उपलब्ध उच्चतम दर पर प्रभारित किया जाएगा।

(3) नगरपालिका द्वारा मीटर द्वारा रजिस्टर की गई जल की वास्तविक खपत के लिए बिल जारी किया जाएगा। नगरपालिका बिना मीटर वाले संयोजनों के लिए उनके द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बिल जारी करेगी।

(4) उपभोक्ता को अग्रिम भुगतान के लिए उस वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका द्वारा यथा निर्धारित दर पर छूट प्रदान की जाएगी, किन्तु नगरपालिका एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही ऐसी छूट दे सकेगी, परंतु ऐसी छूट की रकम एक माह के उपभोक्ता प्रभार से अधिक नहीं होगी।

13. जल एवं मलजल संयोजन के लिए प्रक्रिया.—

(1) जल संयोजनः

स्थायी संयोजन

उपभोक्ता जल के स्थाई कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ विहित प्ररूप में ऑनलाईन या संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा। नगरपालिका आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् संयोजन स्वीकृत कर सकेगी और नियम 3 एवं 6 में यथा उल्लिखित रकम जमा करने के लिए आवेदक को सूचित करेगी। उक्त रकम जमा होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र और विहित अवधि के भीतर संयोजन प्रदान किया जाएगा।

अस्थाई संयोजनः

(एक) उपभोक्ता जल के अस्थाई संयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ विहित प्ररूप में ऑनलाईन या संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा।। नगरपालिका आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् संयोजन स्वीकृत कर सकेगी और नियम 3 एवं 6 में यथा उल्लिखित रकम जमा करने के लिए आवेदक को सूचित करेगी। उक्त रकम जमा होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र और विहित अवधि के भीतर संयोजन प्रदान किया जाएगा।

(दो) अस्थाई संयोजन एक बार में तीन माह से अधिक अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा, तथा नवीनीकरण फीस के भुगतान के साथ अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक समय– समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

(तीन) आवेदक, संयोजन के अनुमोदन के समय अस्थाई संयोजन के लिए उपभोक्ता प्रभार तथा संयोजन फीस जमा करेगा।

(चार) अस्थाई संयोजन स्वीकृत अवधि का अवसान होने के पश्चात् उपभोक्ता के व्यय पर तत्काल विच्छेदित किया जाएगा।

(2) **मलजल संयोजनः** उपभोक्ता मलजल संयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ विहित प्ररूप में ऑनलाईन या संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा। नगरपालिका आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् संयोजन स्वीकृत कर सकेगी और नियम 3 एवं 6 में यथा उल्लिखित रकम जमा करने के लिए आवेदक को सूचित करेगी। उक्त रकम जमा होने के पश्चात् विहित अवधि के भीतर संयोजन प्रदान किया जाएगा।

(3) **कनेक्शन की स्वीकृतिः** नगरपालिका द्वारा जल व मलजल संयोजन के लिए आवेदन पर विनिश्चय तथा संयोजन प्रदाय करने की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 (क्र. 24 सन् 2010) तथा अन्य सुसंगत उपबंधों में विहित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाएगी। किसी तकनीकी या अन्य कारणवश संयोजन की स्वीकृति नहीं दी जाने की दशा में नगरपालिका विहित समयावधि के भीतर आवेदक को सूचित करेगी। तकनीकी कारण से भिन्न आधार पर आवेदन अस्वीकृत होने की दशा में आवेदक त्रुटियों को दूर करने के पश्चात् नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(4) **अनधिकृत जल संयोजन का नियमितीकरण:** किसी अनधिकृत जल संयोजन का पता लगने पर उपभोक्ता को नियमितीकरण के लिए नगरपालिका द्वारा तत्काल सूचना जारी की जाएगी। सूचना जारी किए जाने के तीन माह के भीतर, उपभोक्ता की मांग पर, उक्त संयोजन, यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, तो संयोजन फीस, जो कि विहित फीस से दस प्रतिशत अधिक होगी, जमा किए जाने के पश्चात् नियमित किया जाएगा:

परन्तु नगरपालिका द्वारा सूचना जारी किए जाने के पश्चात् भी यदि उपभोक्ता नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करता है, तो नगरपालिका द्वारा जलापूर्ति विच्छेदित कर दी जाएगी एवं शास्ति स्वरूप छह माह का उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित किया जाएगा तथा अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन अन्य कार्रवाई के साथ वसूली प्रारंभ की जाएगी।

14. मीटरों के लिए उपबंध.–

(1) जहां तक संभव हो नगरपालिका यह सुनिश्चित करेगी, कि प्रत्येक जल संयोजन पर मीटर स्थापित किया जाए तथा मीटर द्वारा मापी गई वास्तविक खपत के आधार पर बिल प्रस्तुत किया जाए।

(2) नगरपालिका द्वारा स्थापित जल मीटर की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी होगा। मीटर चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की दशा में, नगरपालिका उपभोक्ता से मीटर की कीमत वसूल करेगी तथा उपभोक्ता के व्यय पर नवीन मीटर स्थापित करेगी।

(3) मीटर ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां से रीडिंग आसानी से ली जा सके।

(4) रीडिंग लेना संभव नहीं होने की दशा में, विगत तीन बिलों के औसत पर रकम देय होगी।

(5) मीटर की जांच फीस के अग्रिम भुगतान पर की जाएगी। यदि मीटर दोषपूर्ण पाया जाता है, तो जमा की गई जांच फीस आगामी बिल में समायोजित की जाएगी।

(6) निरीक्षण के दौरान, यदि मीटर बन्द पाया जाता है तो नगरपालिका को उस अवधि के लिए औसत उपभोक्ता प्रभार प्रभारित करने का अधिकार होगा ।

15. एस डब्ल्यू एम नियमों के उल्लंघन पर स्पॉट फाईन.–

(1) एस डब्ल्यू एम नियमों या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन या अनुपालन करने में असफलता के लिए किसी व्यक्ति/समूह/संगठन/संस्था आदि के द्वारा इन नियमों के उपाबंध–2 में यथा उल्लिखित न्यूनतम स्पॉट फाईन, देय होगा।

(2) नगरपालिका अधिकारी, एम आई सी/पी आई सी के अनुमोदन से उपाबंध–2 में यथा उल्लिखित जुर्माना अधिरोपित करने हेतु किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा। पदाभिहित अधिकारी नियमों के अधीन स्पॉट फाईन की रकम एकत्रित करेगा।

(3) उपाबंध–2 के अनुसार स्पॉट पर स्पॉट फाईन संदत्त नहीं किए जाने की दशा में अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

16. **विविध.—**

इन नियमों के निर्वचन या कार्यान्वयन में किसी संदेह या कठिनाई की दशा में, मामले को नगरपालिका अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा, जिनका उस पर विनिश्चिय उस मामले में अंतिम होगा।

इन नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी किये जा सकेंगे।

17. **निरसनः** मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त समस्त नियम, उपनियम, उपविधिया, आदेश आदि, यदि कोई हो, निरसित हो जायेंगे।

उपाबंध–1

(नियम 3 देखिए)

जल प्रदाय तथा मलजल सेवाओं के उपभोक्ता प्रभार के निर्धारण का उदाहरणः

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उपभोक्ता प्रभारों की दरें निर्धारित करने के लिए प्रकिया

(1) आयतनात्मक (वाल्यूमेट्रिक) जलप्रदाय के लिए उपभोक्ता प्रभार

क = वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नियम 4 में उल्लिखित सभी सुसंगत मदों पर अंकेक्षित तथा विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित व्यय ।

ख = वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नगरपालिका द्वारा मीटर्ड संयोजन को कुल प्रदायित जल की मात्रा (किलो लीटर में)।

ग = वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति किलो लीटर व्यय = **क/ख**

घ = वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रति किलो लीटर व्यय = **ग + ग का 5प्रतिशत**

ङ = वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रति किलो लीटर व्यय = **घ + घ का 5प्रतिशत**

(2) गैर–आयतनात्मक (नॉन–वाल्यूमेट्रिक) जल प्रदाय के लिए उपभोक्ता प्रभार

क = वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नियम 4 में उल्लिखित सभी सुसंगत मदों पर अंकेक्षित तथा विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित व्यय ।

ख = वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नगरपालिका में बिना मीटर कनेक्शन की कुल संख्या।

ग = वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति उपभोक्ता वार्षिक व्यय = **क/ख**

घ = वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रति उपभोक्ता वार्षिक व्यय = **ग + ग का 5प्रतिशत**

ङ = वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रति उपभोक्ता वार्षिक व्यय = **घ + घ का 5 प्रतिशत**

वर्ष 2021–22 के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरें

श्रेणी	विवरण	उपभोक्ता प्रभार की न्यूनतम दरें	
		आयतनात्मक (वाल्यूमेट्रिक) (प्रति किलो लीटर)	नियत
क	आवासीय इकाईयां	ङ के बराबर	ङ के बराबर
ख	गैर आवासीय इकाईयां	ङ x 1.50	ङ x 1.50
ग	औद्योगिक इकाईयां	ङ x 2.00	ङ x 2.00
घ	शासकीय एवं अर्ध शासकीय इकाईयां	ङ के बराबर	ङ के बराबर

* किसी नगरपालिका में मीटर्ड एवं बिना मीटर के संयोजन होने की दशा में सुसंगत उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता प्रभार की गणना उपरोक्त 1 एवं 2 के अनुसार पृथक्–पृथक् रूप से की जाएगी।

बल्क संयोजन के संबंध मेंः बल्क संयोजन के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरें नगरपालिका द्वारा फेरूल साईज तथा प्रदायित जल पर विचार करते हुए निर्धारित की जाएंगी।

उपाबंध – 2

(नियम 15 देखिए)

स्पॉट फाइन

अनुक्रमांक	कार्यविधि	फाइन (प्रत्येक उल्लंघन के लिए रुपए में)			
		नगरपालिक निगम			
		10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला	10 लाख से कम जनसंख्या वाला	नगरपालिका परिषद्	नगर परिषद्
1	ठोस अपशिष्ट डालने, गंदगी करने, थूकने, खुले में पेशाब करने, खुले में शौच करने, अपशिष्ट जलाने या अन्य कोई गतिविधि जिसमें नागरिकों की स्वच्छता या पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभावित होता हो।	1000	500	200	100
2	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण नही करने, संग्राहक को कचरा प्रदान न करने, खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर बल्क कचरा उत्सर्जक द्वारा (प्रतिदिन के मान से)	1000	500	300	100
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण नहीं करने, संग्राहक को कचरा प्रदान न करने, खुले में कचरा फेंकने, या जलाने पर बल्क कचरा उत्सर्जक के अलावा (प्रतिदिन के मान से)	500	200	100	50
4	नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ईवेस्ट, सेनेटरी वेस्ट खुले में डालने या संग्राहक को नहीं देने पर। (प्रतिदिन के मान से)	500	200	100	50
5	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन अमानक प्लास्टिक प्रतिबंध की अवहेलना करने पर ।	500	250	200	200
6	शहर सीमाओं के भीतर आवासीय या व्यावसायिक क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों, कॉलोनियों की सड़कों पर खुले में निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट डालने पर।	1000 एवं वास्तविक हटाए जाने की लागत	500 एवं वास्तविक हटाए जाने की लागत	300 एवं वास्तविक हटाए जाने की लागत	200 एवं वास्तविक हटाए जाने की लागत
7	गैर–आवासीय संस्था द्वारा फिश, पोल्ट्री, स्लॉटर हाउस, आदि द्वारा खुले में अपशिष्ट फेंकने या सामुदायिक भराव स्थल पर डालने पर	1500	1000	800	500

8.	खुले में या सार्वजनिक स्थलों पर पशुमल को विसर्जित करवाने और सफाई नहीं करने वालों पर	500	500	500	200
9	छोटे दुकानदारों, रेहड़ी वालों द्वारा शहर के सौंदर्य स्थानों, पार्कों, पर्यटन स्थलों आदि में खुले में अपशिष्ट फेंकने पर	500	300	250	100
10	जलप्रदाय व्यवस्था से छेड़छाड़ या क्षति पहुंचाना	क्षति की प्रतिपूर्ति के अलावा			
		1000	750	500	250
11	सीवेज व्यवस्था से छेड़छाड़ या क्षति पहुंचाना	क्षति की प्रतिपूर्ति के अलावा			
		1000	750	500	250

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2020

क्र. एफ–3–71–2020–अठारह–5.– मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप–धारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभवना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है उक्त संशोधन प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम–6 में, उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उन–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(3) अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक्रूप से पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर को, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 300 वर्ग मी. तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों पर, भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसी अनुज्ञा, ऐसे कॉलोनाईजर जो भूखण्ड/भवन विक्रय का आशय रखते हों, को, जारी नहीं की जा सकती:

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी भवन अनुज्ञा जारी करने की शक्ति किसी भी ऐसे वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर को नहीं देगा, जो नियम 26–क एवं 26–ख में उपबंधित मानदण्डों का पालन नहीं करते हों तथा जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव न हो।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2020

क्र. एफ–03–71–2020–अठारह–5.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ–03–71–2020–अठारह–5, दिनांक 7 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 7 November 2020

No. F-371-2020-XVIII-5.- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any persons with respect to the said draft before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely : -

"(3) Architect/ Structural Engineer duly registered by the Authority having jurisdiction may be authorised to issue the building permission on the plots measuring up to 300 sq. meter after getting approval of the Director, town and country planning :

Provided that such permission cannot be issued to the colonisers who intend to sale the plot/ building.

Provided further that the competent Authority shall not give the power to issue building permission to such Architect/Structural Engineer who does not fulfil the norms provided in rule 26-A and 26-B and do not possess minimum 10 years experience."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 2016–1264–2019–पचास–2.– भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 29 सन् 2018) की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में लाड़ली लक्ष्मी योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) योजना नियम, 2020 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 29 सन् 2018);

(ख) **"आंगनवाड़ी केन्द्र"** से अभिप्रेत है, किसी जिले के ग्राम अथवा वार्ड में अवस्थित समेकित बाल विकास परियोजना के अधीन संचालित केन्द्र, जहां बालिका को रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(ग) **"आंगनवाड़ी कार्यकर्ता"** से अभिप्रेत है, संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र में नियुक्त कोई व्यक्ति, जो ग्राम/वार्ड स्तर पर अपने सर्वेक्षण क्षेत्र में योजना का आवेदन प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(घ) **"प्राधिकृत अधिकारी"** से अभिप्रेत है, महिला एवं बाल विकास विभाग का जिला कार्यक्रम अधिकारी, जो हितग्राही बालिका के पक्ष में जमा एवं देय का राशि का लेखा–जोखा संधारित करेगा;

(ङ) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट कोई प्राधिकृत अधिकारी, जो महिला एवं बाल विकास विभाग का बाल विकास परियोजना अधिकारी होगा;

(च) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(छ) **"पंजीयन केन्द्र का भारसाधक अधिकारी"** से अभिप्रेत है, लोक सेवा गारंटी

अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अधीन लोक सेवा केन्द्र का भारसाधक अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए हितग्राही का आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ;

(ज) **"भारसाधक व्यक्ति"** से अभिप्रेत है, बाल देखरेख संस्थाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ;

(झ) **"हितग्राहियों का रजिस्टर"** से अभिप्रेत है, हितग्राहियों का ऐसा रजिस्टर, जिसमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हितग्राहियों के नाम प्ररूप–तीन में पंजीकृत तथा संधारित किए जाते हैं;

(ञ) **"धारा"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(ट) **"पर्यवेक्षक"** से अभिप्रेत है, संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र का पर्यवेक्षण करने वाला व्यक्ति;

(ठ) **"योजना"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा विनिर्दिष्ट लाड़ली लक्ष्मी योजना।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. **योजना की पात्रता.–** कोई बालिका, जो योजना के अधीन हितग्राही के रूप में पंजीकृत है या पंजीकृत की गई है, अधिनियम की धारा 5 में यथाविनिर्दिष्ट लाभों के लिए पात्र होगी।

4. **हितग्राही के रूप में पंजीकरण के लिए हकदार.–**

(1) ऐसे माता–पिता योजना में हितग्राही के रूप में अपनी बालिका का नाम पंजीकृत कराने के लिए पात्र होंगे, यदि –

(क) बालिका, जिसके माता–पिता मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होगी;

(ख) रजिस्ट्रीकरण के समय माता–पिता आयकर दाता नहीं हैं :

परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् या तो माता या पिता या दोनों आयकर दाता हो जाते हैं, तो भी बालिका योजना के अधीन निरंतर लाभ प्राप्त करती रहेगी;

(ग) प्रथम जन्मी बालिका योजना के लाभों की हकदार होगी, चाहे उसके माता–पिता ने नियोजन अपनाया हो अथवा नहीं, परंतु दूसरी बालिका के पंजीयन के लिए परिवार नियोजन अपनाएं जाने की शर्त अनिवार्य होगी और प्रथम प्रसव में दो या दो से अधिक बालिकाओं के जन्म की दशा में, सभी बालिकाएं पात्र होंगी।

(घ) बालिका को नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र में नामांकित किया जाना चाहिए।

(2) यदि हितग्राही देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली सीएनसीपी बालिका है, तो हितग्राही के लिए कोई पूर्वोक्त शर्तें लागू नहीं होंगी।

(3) **विशेष प्रकरणों में हितग्राही पंजीकरण हेतु पात्रता.–**

(1) यदि किसी परिवार में अधिकतम दो बच्चे हैं और माता–पिता में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार नियोजन अपनाए जाने की शर्त लागू नहीं होगी, किन्तु मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना एक पूर्व अपेक्षित कसौटी होगी। ऐसे प्रकरणों में, 05 वर्ष की उम्र होने तक योजना में बालिका का पंजीयन किया जा सकेगा।

(2) यदि किसी परिवार ने किसी बालिका को विधिक रूप से दत्तक लिया है तो बालिका प्रथम बालिका के रूप में योजना के लाभों की हकदार होगी, परंतु परिवार को, बालिका को दत्तक लेने या उत्तराधिकार के एक वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन करना चाहिए।

(3) यदि माता–पिता या उनमें से किसी ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से एक वर्ष के भीतर योजना के अधीन पंजीयन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो ऐसे माता–पिता बालिका के जन्म से दो वर्ष के भीतर सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष स्वीकृति अथवा अस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य सरकार को कालातीत प्रकरणों को मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(5) जहां एक बालक अथवा बालिका के पश्चात्, किसी परिवार में जुड़वा बालिकाएं जन्म लेती हैं, तो दोनों बालिकाएं योजना के अधीन लाभों के लिए पात्र होंगी।

(6) महिला कैदी, जो किसी भी कारण से जेल में परिरूद्ध है और बालिका को जेल में जन्म देती है, की बालिका भी योजना के अधीन लाभों की हकदार होगी।

(7) किसी बलात्संग पीड़िता द्वारा जन्मी बालिका भी योजना के अधीन लाभ के के लिए हकदार होगी।

5. पंजीयन हेतु आवेदन.–

(1) माता–पिता बालिका के जन्म अथवा दत्तक लिए जाने के एक वर्ष के भीतर पंजीयन केन्द्र के भारसाधक अधिकारी को प्रारूप–एक में, दो प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेंगे:

परंतु प्रारूप एक में आवेदन लोक सेवा केन्द्र पर या विभाग की लाड़ली लक्ष्मी योजना वेबसाइट (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) योजना के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने समय निम्नलिखित जानकारी दिया जाना अपेक्षित होगा:–

(क) माता–पिता के मूल निवासी होने का प्रमाण;

(ख) बालिका का जन्म प्रमाण–पत्र;

(ग) दूसरे बच्चे की दशा में परिवार नियोजन अपनाए जाने का विश्वसनीय प्रमाण;

(घ) आंगनवाड़ी केन्द्र में नामांकन का प्रमाण;

(ड.) आयकरदाता न होने के संबंध में स्वयं का कथन;

(च) अनाथालय में निवास का प्रमाण;

(छ) दत्तक लेने वाले माता–पिता द्वारा दत्तक ली गई बालिका का प्रमाण।

(3) जेल या अनाथालय या बाल देखरेख संस्था के प्रभारी व्यक्ति को ऐसे जेल या बाल देखरेख संस्था में बालिका प्रवेश/भर्ती होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर किंतु उसके पांच वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व, हितग्राही बालिका के पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा।

6. पंजीकरण प्रकिया.–

(1) आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्र का भारसाधक अधिकारी अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवेदन की अन्तर्वस्तुओं का सत्यापन करेगा, उसे पंजी में दर्ज करेगा तथा अनुक्रमांक प्रदान करेगा और दूसरी प्रति माता–पिता को वापस की जाएगी। उसके पश्चात् वह उसे आश्वासन प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी या तो प्रारूप–दो में आश्वासन प्रमाण–पत्र जारी करेगा अथवा आवेदन को लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित निरस्त करेगा और बालिका के माता–पिता को सूचित करेगा। सक्षम प्राधिकारी, आवेदन का निपटारा उसे प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर करेगा।

सक्षम प्राधिकारी, आश्वासन प्रमाण–पत्र जारी करने की संख्या तथा पर्याप्त कारणों से उसके द्वारा नामंजूर किए गए आवेदनों की संख्या अन्तर्विष्ट करते हुए प्राधिकृत अधिकारी को दो माह की कालावधि के भीतर प्रारूप दो (क) में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

(3) आश्वासन प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के पश्चात्, सरकार की ओर से ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तीस हजार रूपए की राशि जमा की जाएगी जो महिला बाल विकास द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसा अधिकारी समुचित लेखा संधारित करेगा और इसकी रिपोर्ट प्रत्येक कलेक्टर के माध्यम से आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजी जाएगी।

(4) हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित किया जाएगा और प्रारूप–तीन में दिए गए प्रपत्र में प्राधिकृत अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। इसके अलावा, इस संबंध में जानकारी योजना की वेबसाइट www.ladlilaxmi.mp.gov.in पर भी संधारित की जाएगी।

7. अपील.–

(1) यदि आवेदन निरस्त कर दिया जाता है अथवा समय–सीमा में नहीं किया जाता है, तो निम्नानुसार अपील प्रस्तुत की जा सकेगी–

1. प्रथम अपील – जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रथम अपील अधिकारी होगा। अपील निराकृत करने के लिए समय–सीमा 15 कार्य दिवस होगी।
2. द्वितीय अपील– प्रथम अपीली अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

8. पंजीकरण निरस्त किया जाना.—

(1) योजना में पंजीयन के उपरांत यदि आवेदन में की अंतर्वस्तुएं जांच में असत्य या गलत पाई जाती हैं तो ऐसे पंजीयन को सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा निरस्तीकरण के पश्चात् समस्त लाभ सरकार को समपहृत हो गये, समझे जाएंगे। परन्तु पंजीयन निरस्त करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना आवश्यक होगा।

(2) पंजीकृत बालिका का बाल विवाह होने पर योजना में पंजीकरण स्वमेव निरस्त माना जाएगा तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी।

(3) पंजीकृत बालिका की मृत्यु होने पर समस्त लाभ राज्य सरकार को अंतरित हो गए समझे जाएंगे।

(4) बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत् ऐसी बालिकाएं जो लाड़ली लक्ष्मी योजना के अधीन पंजीकृत हैं, का दत्तक ग्रहण के विदेश अथवा मध्यप्रदेश से बाहर अन्य प्रदेशों के मूल निवासी अभिभावकों द्वारा किया जाता है, जो इन बालिकाओं का लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीयन न्यायालय के आदेश की तारीख से 2 वर्ष के पश्चात् निरस्त किया जाएगा। परंतु प्रदेश के मूल निवासी परिवार द्वारा दत्तक ली गई बालिकाओं को योजना का लाभ जारी रहेगा।

(5) निरस्त प्रकरणों संबंधित समस्त दस्तावेज योजना के पोर्टल http.//ladlilaxmi.mp.gov.in पर संधारित किए जाएंगे।

9. लाभों की हकदारी.—

(1) योजना के अधीन पंजीकृत प्रत्येक बालिका रूपए 1,18,000/— (एक लाख अठारह हजार रूपए) मात्र की राशि की निम्नानुसार हकदार होगी:—

(एक) कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने के समय रूपए 2000/—(दो हजार रूपए) मात्र

(दो) कक्षा 9वीं मे प्रवेश लेने के समय रूपए 4000/—(चार हजार रूपए) मात्र

(तीन) कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के समय रूपए 6000/—(छह हजार रूपए) मात्र

(चार) कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के समय रूपए 6000/—(छह हजार रूपए) मात्र

(पांच) 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपए 1,00,000/—(एक लाख रूपए) मात्र:

परंतु खण्ड एक से चार के अधीन लाभ प्राप्त करते समय पूर्व कक्षा की अंक—सूची के साथ अध्ययनरत् कक्षा में बालिका के प्रवेश की जानकारी आवश्यक रूप से संगृहीत प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह और कि खण्ड पांच के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका को कक्षा 12वीं की परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, तथा 12वीं की अंकसूची प्रस्तुत की जाना होगी:

परंतु यह और भी कि विवाहित हितग्राही की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण—पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) योजना के लिए भुगतान मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना फंड बजट, जैसा कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा हितग्राही के लिए अलग से रखा गया है में किया जाएगा।

(3) आश्वासन प्रमाण पत्र में कथित राशि ई–भुगतान के माध्यम से केवल हितग्राही के खाते में भुगतान की जाएगी।

(4) यदि बालिका विहित पात्रता शर्त पूरा नहीं करती है या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो समस्त लाभ राज्य सरकार को समपहृत हो गए समझे जाएंगे।

(5) अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (2) के अधीन हितग्राही को प्रोद्भूत धन संबंधी लाभ स्थायी प्रकृति के होंगे और उन्हें वसूल नहीं किया जाएगा, परंतु अंतिम लाभ अधिनियम में विनिर्दिष्ट बालिका की पात्रता पर आधारित होगा।

(6) इस योजना के अधीन, हितग्राही की माता संरक्षक होगी और माता की मृत्यु की दशा में, पिता संरक्षक होगा और यदि माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो उसका विधिक संरक्षक कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो डिप्टी कलेक्टर या जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और अनाथालय अथवा बाल देखरेख संस्था की दशा में, अधीक्षक, विधिक संरक्षक होगा, जहां उस अनाथ बालिका को प्रवेश दिया गया है।

(7) पात्र अभ्यर्थियों को विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

10. लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि का संधारण.–

(1) राज्य सरकार एक निधि गठित तथा संधारित करेगी, जो कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि के रूप में जानी जाएगी, जो हितग्राही को धन संबंधी लाभ संवितरित करने के लिए उपयोग की जाएगी।

(2) निधि का गठन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा.–

(एक) प्रत्येक हितग्राही के लिए उसके पंजीयन के पश्चात निधि में राज्य शासन की ओर से, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राशि रूपए 30,000/– (तीस हजार रूपए) की राशि जमा की जाएगी ; तथा

(दो) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जमा की गई, डाक विभाग द्वारा जारी, राष्ट्रीय बचत पत्र की ब्याज सहित परिपक्व राशि, यदि कोई हो;

(तीन) इसके आलावा, हितग्राहियों के दावों का निपटारा करने हेतु निधि में आवश्यकता होने पर राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तथा निधि में अंतरित की जाएगी।

(3) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति में सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त सदस्य होंगे। समिति में आयुक्त, महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव होंगे। फंड (निधि) की समीक्षा करने के लिए समिति सम्मिलन का संचालन करेगी।

11. हितग्राहियों के अभिलेख का संधारण.–

(1) योजना के अधीन हितग्राहियों से संबंधित एक रजिस्टर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित रूप से संधारित किया जाएगा और इस हेतु तैयार किए गए रजिस्टर में

हितग्राहियों के समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। इसके अलावा, समस्त दस्तावेज योजना के पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in पर संधारित किए जाएंगे।

(2) जब कभी हितग्राही को कोई आश्वासन प्रमाण–पत्र जारी किया जाए, तो उसके ब्यौरे दर्ज किए जाएंगे और आश्वासन प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी। आश्वासन प्रमाण पत्र योजना के पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक हितग्राही को योजना के पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in से एक नामांकन क्रमांक प्रदान किया जाएगा और उसकी प्रविष्टि इस प्रयोजन हेतु रखे गए रजिस्टर में की जाएगी।

(4) जब कभी भी हितग्राही को कोई भुगतान किया जाए, उसकी प्रविष्टि रजिस्टर तथा योजना पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in में हितग्राही के नाम के सामने उस तारीख के साथ अभिलिखित की जानी चाहिए, जिसको कि ई–पेमेंट के द्वारा रकम संदत्त की गई है।

12. अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) तथा मूल्यांकन.–

(1) जिला स्तर पर.–

(क) प्राधिकृत अधिकारी (जिला कार्यक्रम अधिकारी), महिला एवं बाल विकास विभाग अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आवश्यक हो तो, वह योजना के अधीन ऐसे सभी मामलों का मूल्यांकन भी करेगा, जो कि सक्षम प्राधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी) द्वारा विनिश्चिय किए गए हों तथा वह कलेक्टर को समय–समय पर, रिपोर्ट भी प्रेषित करेगा।

(ख) महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् कलेक्टर, रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी योजना के संबंध में कठिनाइयों सुझावों एवं अनुशंसाओं (यदि कोई हों) को आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग को रिपोर्ट करेंगे।

(ग) अधिनियम की धारा 8 के अधीन जिला स्तर पर हितग्राही के पंजीयन/लाभ के संबंध में यदि कोई विवाद उद्भूत होता है तो जिला कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) संभाग स्तर पर.–

संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने अधीनस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के समय–समय पर संचालित निरीक्षणों में योजना संबंधी अभिलेखों का अवलोकरन करेंगे। साथ ही वह योजना क्रियान्वयन तथा अभिलेख संधारण के संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु निर्देश दे सकेंगे।

(3) राज्य स्तर पर.–

(क) यदि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति पाई जाती है, तो विसंगति दूर करने के लिए विभाग का प्रमुख राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा भेजेगा।

(ख) राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में किसी विवाद या विसंगति के उद्भूत होने की दशा में विभाग प्रमुख, महिला एवं बाल विकास विभाग का विनिश्चिय अंतिम होगा।

13. राज्य सरकार द्वारा निदेश.–

(1) राज्य सरकार, अधिनियम तथा नियमों के अधीन बनाई गई योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जैसे कि वह उचित समझे।

(2) योजना के अधीन हितग्राही के रूप में 1 अप्रैल, 2007 से इस अधिनियम के प्रारंभ होने की कालावधि के दौरान पंजीकृत समस्त बालिकाओं के लिए वर्षानुवर्ष बजट में उपबंध करके निधि पृथक् रूप से रखी जाएगी।

14. कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण.–

समस्त कार्यवाहियां, जो 01 अप्रैल, 2007 से शुरू होकर इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रारंभ होने तक वर्तमान में प्रचलित राज्य सरकार की मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना से संबंधित प्रशासनिक आदेशों के अधीन हैं, अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य समझी जाएंगी :

परंतु इन नियमों की अधिसूचना के पूर्व लाड़ली लक्ष्मी योजना के अधीन की गई कोई कार्रवाई या जारी किया गया कोई आदेश, जहां तक कि वह अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई है या जारी किया गया है।

15. अधिनियम तथा नियमों का अपालन .–

यदि कोई अधिकारी/संस्था या सांविधिक निकाय आदि जो पंजीयन और योजना के धनीय तथा अन्य लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार, यथोचित जांच के पश्चात् ऐसे अधिकारी/संस्था या सांविधिक निकाय आदि, जो अधिनियम के अधीन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है या जिसके बारे में उपेक्षा किया जाना पाया जाता है, के विरूद्व कार्रवाई कर सकेगी।

16. सूचना, शिक्षाा एवं संचार.–

जन समुदाय के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए निश्चित अन्तराल पर नुक्कड़ नाटक, नारे लेखन, ब्रोशर, पोस्टर, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से राज्य शासन द्वारा, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी।

17. बालिका की सहमति पर, उसे स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके। इसके लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राही द्वारा 21 वर्ष में प्राप्त की जाने वाली राशि का उपयोग आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं या बैंक लोन में मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक रूप से सशक्त योजना के अधीन पंजीकृत बालिका को आर्थिक बोझ समझने की मानसिकता एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना का मूल उददेश्य बालिका को पढ़ने के समान अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

18. सामाजिक अंकेक्षण.–

अधिनियम के अधीन वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार स्थानीय निकाय एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कराएगी।

सामाजिक अंकेक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं से मिलकर बनेगा:–

1. लाड़ली लक्ष्मी योजना से समाज में बेटियों के प्रति मानसिकता में परिवर्तन।
2. लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी।
3. परिवार द्वारा परिवार नियोजन अपनाना।
4. कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका के जन्म के पश्चात् हत्या को समाप्त करना।
5. बालिकाओं के शालाा नामांकन अनुपात को बढ़ाना।
6. उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाना।
7. दहेज प्रथा की समप्ति।
8. बालिकाओं का आर्थिक संशक्तिकरण, अर्थात् कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना।

प्रारूप—एक
लाड़ली लक्ष्मी योजना
(नियम (3) तथा नियम 4(1) देखिए)
(हितग्राही के पंजीयन प्रारूप दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अधीन हितग्राही के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन प्रारूप (माता—पिता/विधिक संरक्षक/अधीक्षक/शिशु संरक्षण संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा भरा जाए)

माता/पिता के साथ बालिका का हाल ही का फोटो चिपकाएं

प्रति,

प्रभारी अधिकारी,रजिस्ट्रीकरण केन्द्र
सक्षम प्राधिकारी,
खण्ड/एकीकृत बाल विकास परियोजना
तहसील ....
जिला ....
मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राही के रूप में मेरी पुत्री का नाम पंजीकृत करने की वांछा करता हूं, ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

1 — बालिका का नाम :
2 — माता का नाम तथा आयु :
3 — पिता का नाम तथा आयु :
4 — व्यवसाय तथा परिवार की वार्षिक आय :
5 — पिन कोड तथा मोबाईल नम्बर सहित निवास का पता :
6 — (एक) बालिका की जन्म तारीख (प्रमाण—पत्र संलग्न करें) —
(दो) वह दिनांक जिसको बालिका जेल/बाल संरक्षण संस्था में प्रवेशित हुई (जेल/बाल संरक्षण संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा भरा जाए)
7 — हितग्राही के भाई/बहन की संख्या :
8 — हितग्राही की श्रेणी :
9 — हितग्राही की टीकाकरण स्थिति :
10 — **परिवार नियोजन के ब्यौरे..........................(प्रथम बालिका के लिए लागू नहीं)**
11 — माता पिता/ हितग्राही का आधार नम्बर :
12 — आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम :
(क) ग्राम :
(ख) खण्ड/परियोजना :
(ग) तहसील :
(घ) जिला :

13 — वह कालावधि जिसके दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत हो।

14 — क्या माता तथा पिता आयकर दाता है.................. ....(हां/नहीं)

15 — क्या बीपीएल कार्ड धारक है............ (हां/नहीं)

16 — परिवार नियोजन प्रमाण पत्र माता पिता में से एक का..................(प्रमाणिक व्यक्ति/संगठन द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न कीजिए) (प्रथम बालिका के लिए लागू नहीं)

घोषणा

अ. मैं .... आत्मज .... और मैं .... पत्नी .... एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं / करती हूं कि मैं/ हम आयकर दाता नहीं हूं/ हैं। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि आवेदन की समस्त अंतर्वस्तुएं मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में सत्य हैं, यदि कोई भी जानकारी असत्य या झूठी पाई जाती है तो मैं/हम व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं/हैं और ऐसा पाए जाने पर समस्त लाभ सरकार के पक्ष में समर्पित कर दूंगा/देंगे।

ब. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने कोई भी आवेदन किसी अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र में या किसी लोक सेवा केन्द्र में या ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण या अपनी पुत्री का नाम हितग्राही के रूप में मैंने रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया है.

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि,–

(एक) बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पूर्व अनुष्ठापित नहीं किया जाएगा। (इस संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाए)

स्थानः– **आवेदकों के हस्ताक्षर**

तारीखः– (1) ....

(2) ....

पूरा पता ....

संलग्न दस्तावेजः

1. जन्म प्रमाण–पत्र...................................(दस्तावेज संलग्न करें)

2. मूल निवास प्रमाण–पत्र। (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पहचान, यदि कोई हो, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र)

3. आंगनवाड़ी केन्द्र में रजिस्ट्रीकृत होने पर पर्यवेक्षक/प्रभारी आंगनवाड़ी केन्द्र का सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक है ।

स्थानः **आवेदक के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान**

तारीखः **पूरा पता** ....

लाड़ली लक्ष्मी योजना

(हितग्राही के माता–पिता को दी जाने वाली प्रतिलिपि)

प्ररूप–दो

....

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : दिनांक :.......................

माता/ पिता के साथ बालिका का हाल ही का फोटो चिपकाएं

आश्वासन प्रमाण–पत्र

लाड़ली लक्ष्मी योजना नियम 6 (3) के अधीन

लाड़ली कुमारी ....पुत्री श्रीमती .... और श्री ....
जन्म तारीख ....पता ....जिला..........

कुल रकम रूपए 1,18,000/–

- कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने के समय पर रूपए 2000/– (दो हजार रूपए)
- कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के समय पर रूपए 4000/– (चार हजार रूपए)
- कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के समय पर रूपए 6000/– (छह हजार रूपए)
- कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के समय पर रूपए 6000/– (छह हजार रूपए)

और

- 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपए 1,00,000/– (एक लाख रूपए) :

परंतु यह कि लाभ शासन द्वारा विहित आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात् विवाह करने और कक्षा बारहवीं की परीक्षा में सम्मिलित होने के अध्ययधीन होगा।

लाड़ली सं ....
तारीख ....

स्वीकृतकर्ता अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

स्वाबलम्बी बालिका – सशक्त समाज का आधार

लाड़ली लक्ष्मी योजना
प्ररूप–दो (क)
(नियम 6 (3) देखिए)
कार्यालय सक्षम प्राधिकारी
आश्वासन प्रमाण–पत्र

जिला....................

मैंनें (बालिका) हितग्राही के पंजीयन के लिए आवेदन की अंतर्वस्तुओं को अच्छी तरह देख लिया है, जिसे प्रभारी आधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (2) तथा नियम 5 के उप–नियम (1) के अधीन अग्रेषित किया गया है ।

अ. मैंनें यह विनिश्चित किया है कि आवेदन (हितग्राही का फोटो संलग्न है) पूर्ण रूप से ठीक है जिसे अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (2) तथा (3) के अधीन लाभ स्वीकृत करने के लिए हितग्राही के पक्ष में स्वीकार किया जाता है । अतः धारा 4 की उप–धारा (3) के अधीन आश्वासन प्रमाणपत्र हितग्राही के माता–पिता को एतद्द्वारा जारी किया जाता है ।

1.

2.

3.

या

मैंनें यह विनिश्चित किया है कि पंजीयन तथा लाभ स्वीकृत करने के लिए आवेदन निम्नलिखित कारणों से निरस्त किए जाने योग्य है :–

(कारणों को अभिलिखित कीजिए)

1. —
2. —
3. —

ब. ________________________________

प्रतिलिपिः
(1) जिला कलेक्टर,
(2) जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश

स्वीकृतकर्ता अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

लाड़ली लक्ष्मी योजना

प्ररूप–तीन

नियम 9 देखिए

हितग्राही के रजिस्टर का प्ररूप

अनुक्रमांक	हितग्राही पंजीयन क्रमांक	आवेदन प्राप्ति की तारीख	हितग्राही का नाम एवं वर्ग	हितग्राही के माता–पिता का नाम और पता	हितग्राही की जन्म तारीख	तारीख जिसको आश्वासन प्रमाणपत्र जारी किया गया है	समय–समय पर किए गए ई–पेमेंट की तारीख, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सत्यापित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

No. 2016-1264-2019-L-2.-

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 9 of the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Adhiniyam, 2018 (No. 29 of 2018), the State Government, hereby, makes the following rules for the purpose of carrying out the Ladli Laxmi Yojna in the State of Madhya Pradesh, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Yojna Rules, 2020.

(2) These rules shall come in to force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) **"Act"** means the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Adhiniyam, 2018 (No. 29 of 2018);

(b) **"Anganwadi centre"** means a centre operated under the Integrated Child Development Project located in a village or ward of a district where the girl child is registered;

(c) **"Anganwadi worker"** means a person appointed at the concerned Anganwadi centre who has been authorized by the department for the purpose of receiving the application of the scheme in his/her survey area at the village / ward level;

(d) **"Authorised officer"** means the District Program Officer of the department of Women and Child Development who shall maintain an account of the deposits and dues in favour of the beneficiary girl;

(e) **"Competent authority"** means an authorized officer as specified in clause (c) of section 2 of the Act who shall be a child development project officer of the Department of Women and Child Development;

(f) **"Form"** means the form appended to these rules;

(g) **"Officer in charge of registration centre" means** an officer in charge of the Public Service Centre under the Public Service Guarantee Act, 2010 (No. 24 of 2010) or a person appointed to receive the application of the beneficiary for this purpose;

(h) **"Person-in-charge"** means a person appointed for the control and management of the Child Care Institutions;

(i) **"Register of beneficiaries"** means such register of beneficiaries in which the names of beneficiaries are registered and maintained in form-III by the authorised officer;

(j) **"Section"** means the section of the Act;

(k) **"Supervisor"** means the Person to supervise the aanganwadi centre concerned;

(l) **"Yojna"** means Ladli Laxmi Yojna as specified in clause (h) of section 2 of the Act.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Eligibility of Yojna.- A female child who is or has been registered as beneficiary under the Yojna shall be eligible for the benefits as specified in section 5 of the Act.

4. Entitled for Registration as Beneficiary.-

(1) Such parents will be eligible to register their girl's name as a beneficiary in the scheme, if –

(a) The girl child whose parents are native to the state of Madhya Pradesh will be entitled to avail the benefits of the scheme;

(b) The parents are not income tax payee at the time of registration;

Provided that if either mother or father or both have become income tax payee after the registration, the female child shall continue to get the benefits under the Yojna;

(c)The first born girl child will be entitled to the benefits of the scheme, irrespective of whether her parents have adopted family planning or not but the condition of adopting family planning will be mandatory for the registration of the second girl child and in the case of birth of two or more girls in the first delivery, all the girls will be eligible.

(d) The girl child should be enrolled in the nearest anganwadi center.

(2) If the beneficiary is a girl child in need of care and protection (CNCP) no aforesaid conditions will be applicable for the beneficiary.

(3) Eligibility for beneficiary registration in special cases.-

(1) In the event of maximum of two children are in a family and either of the parents dies, the condition of adopting family planning shall not be applicable but submission of death certificate of the deceased person shall be a prerequisite criterion. In such cases, the girl child can bc registered under the scheme up to the age of 05 years.

(2) If a family has legally adopted a female child then the female child shall be entitled to the benefits of the yojna as a first girl child but the family should apply within one year from adoption or succession of child for registration.

(3) If parents or one of them have not applied for registration under the scheme within one year by reason of medical ground then such parents may apply within two years from the birth of female child to the competent authority. The competent authority shall submit such applications to the Collector through the authorized officer for acceptance or rejection.

(4) State Government shall have powers to sanction the time barred cases.

(5) Where in a family twin girls are born after a male or female child, both the girls shall be eligible for benefits under the yojna.

(6) The female child of the women prisoner who is confined in jail by whatever reason and gives birth a female child in jail shall also be entitled for the benefits under this yojna.

(7) The girl child born by a rape victim will also be entitled for the benefits under the scheme.

5. Application for Registration.-

(1) The parent shall submit an application in duplicate to the officer in charge of the registration center within one year from the birth or adoption of a female child in Form-I:

Provided that the application may also be submitted in Form-I at the Lok Seva Kendra or through Ladli Laxmi Yojna website (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) of the department.

(2) The following information shall be required to be furnished at the time of submission of the application under the Yojna: -

(a) proof of bona fide resident of the parents;
(b) birth certificate of the girl child;
(c) Authentic proof of adopting family planning in the case of second child;
(d) Proof of enrolment at aanganwadi Centre;
(e) Self-statement regarding non income tax payee;
(f) Proof of residence of orphanage;
(g) Proof of adopted female child by adoptive parents.

(3) The-In-charge of the jail or orphanage or child care institution shall have to apply for registration of the female child beneficiary within one year but before her attaining the age of five years from the date of entering or admitting the female child in such orphanage or child care institution.

6. The **Registration process.-**

(1) On receipt of the application, the officer in-charge of the registration center or anganwadi worker shall verify the contents of the application, register the same and provide the serial number and the duplicate copy shall be returned to the applicant. Thereafter, he shall forward it to the competent authority for issuing the assurance certificate.

(2) On receipt of the application, the competent authority shall either issue the assurance certificate in Form-II or reject the application with the reasons being recorded in writing and intimate the parents of the female child. The competent authority shall dispose of the application within one month from the date of filling it. The competent authority shall send its report in Form-II (A) within the period of two month to the authorized officer containing the numbers of issuing assurance certificate and the applications rejected by him with sufficient reasons.

(3) After issuance of assurance certificate, the sum of thirty thousand rupees shall be deposited by such authorized officer on behalf of Government who shall be authorized by WCD. Such officer shall maintain the proper account and its report shall be sent to the commissioner, Women & Child Development Deptt. through collector every year.

(4) A register of beneficiary shall be maintained and kept in the safe custody of the authorized officer in proforma given in form-III. Apart from this, information in this regard shall also be maintained on the website (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) of the scheme.

7. Appeal.-

(1) If the application is rejected or not disposed of within the time limit, an appeal may be filed as follows-

1. First appeal - The District Program Officer, Women and Child Development Department shall be the first appellate officer. The deadline for disposal of appeals will be 15 working days.

2. Second appeal- The second appeal against the order of the first appellate officer will be presented before the District Collector.

8. Cancellation of registration.-

(1) After the registration in the scheme, if the said contents in the application are found to be untrue or false in the investigation, then such registration can be cancelled by the competent officer and after cancellation all the benefits are deemed to be passed on to the government but before

cancelling the registration, it will be necessary to give the applicant a reasonable opportunity of hearing.

(2) In case of child marriage of the registered girl child, the registration in the scheme shall be deemed to be cancelled automatically and action can be taken under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.

(3) On the death of the registered girl, all the benefits shall be deemed to have been transferred to the State Government.

(4) If such who are registered under Ladli Laxmi Yojana and resides the child care institutions, are adopted by natives from abroad or other states the registration Ladli Laxmi scheme of these girls shall be revoked after 2 years from the date of order of the Court. But the benefit of the scheme to the girl child adopted by thc native family of the state will continue.

(5) All documents related to cancelled cases will be maintained on the scheme portal https://ladlilaxmi.mp.gov.in

9. Entitlement of benefits.-

(1) Every female child registered under the Yojna shall be entitled for a sum of Rs. 1,18,000/- (one lakh eighteen thousand Rupees) only as below: -

(i) At the time of admission to class 6th Rs. 2000/- (Rs. Two thousand) only.
(ii) At the time of admission to class 9th Rs. 4000/- (Rs. four thousand) only.
(iii) At the time of admission to class 11th Rs. 6000/- (Rs. six thousand) only.
(iv) At the time of admission to class 12th Rs. 6000/- (Rs. six thousand) only.
(v) At attaining age of 21 year Rs. 1,00,000/-(Rs. One lakh) only.

Provided that while receiving the benefits under clause one to four the information of the girl's admission in the current class along with the mark-sheet of the previous class will be collected necessarily:

Provided further that it shall be mandatory for the girl child to appear in the class 12th examination to get the benefit under clause five, and a mark sheet of class 12th will have to be submitted:

Provided further also that in case of married beneficiary, marriage registration certificate will also be submitted.

(2) Payment for the scheme will be made from the Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojana fund (NIDHI) budget as set aside by the Women and Child Development Department for the beneficiary.

(3) The sum stated in assurance certificate shall be paid in the account of beneficiary only through E- Payments.

(4) If the female child does not fulfill the prescribed eligibility condition or has died then all benefits shall be deemed to be forfeited to the State Government.

(5) The Pecuniary benefit accrued to the beneficiary under sub-section (2) and section 5 of the Act shall be of the permanent nature and shall not be recovered but the final benefit shall be depending on the eligibility of the girl child specified in the Act.

(6) Under this Yojna, the mother of the beneficiary shall be the guardian and in case of death of the mother, the father shall be the guardian and if mother and father both have died then her legal guardian shall be appointed by the Collector who shall not be below the rank of Deputy Collector or District Programme Officer, Women and Child Development Department and in case of the orphanage or Child Care Institution, the Superintendent shall be the legal guardian where orphan female child is admitted.

(7) Priority will be given to eligible candidates for various employment oriented schemes and admission in professional courses run by the state government.

10. Maintenance of Ladli Laxmi Yojna Nidhi.-

(1) The State Government shall constitute and maintained a fund which shall be known as Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna Nidhi which shall be utilized for disbursing pecuniary benefits to the beneficiary.

(2) The fund shall be constituted by the following: -

(i) A sum of Rs. 30000/- (Thirty Thousand Rupees) shall be deposited by District Programme Officer, Women and Child Development Department on behalf of the State Government in the fund for each beneficiary after her registration; and

(ii) The matured sums of National Saving Certificate with interest, if any, issued by the postal department deposited by the women and child Development Department;

(iii) Apart from this, to settle the claims of the beneficiaries the amount will be reimbursed by the state government and transferred to the fund, if needed in the fund.

(3) Secretary, Department of Finance and Director, Institutional Finance will be the members in the Standing Committee constituted under the chairmanship of Principal Secretary, Women and Child Development. Commissioner, Women and Child Development will be the member secretary in the committee. The committee will conduct meetings to review the fund (NIDHI).

11. Maintenance of Record of the beneficiaries.-

(1) A register relating to the bencficiarics undcr the scheme shall properly be maintained by the authorized officer and proper records of beneficiaries shall be kept in the register prepared therefore. Apart from this all documents will be maintained on the portal (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) of the scheme.

(2) When an assurance certificate is issued to the beneficiary, the details of which shall be registered and second copy of assurance certificate shall be kept in a safe custody of the office of the authorized officer. The certificate of assurance can be downloaded from the portal (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) of the scheme.

(3) Every beneficiary shall be given an enrolment number from the scheme portal (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) and the entry shall be made in the register kept for this purpose.

(4) As and when the payment is made to the beneficiary, its entry should be recorded in the register and scheme portal (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) against the name of beneficiary with the date on which the amount is paid by E-payment.

12. Monitoring and evaluation.-The monitoring and evaluation of the scheme shall be made in following level:-

(1) At the district level.-

(a) The authorized officer (District Program Officer), Women and Child Development Department will be responsible for monitoring. If necessary, he will also evaluate all such matters under the scheme which have been decided by the competent authority (Child Development Project Officer) and he will also send the report to the Collector from time to time.

(b) After receiving the report from the District Program Officer of Women and Child Development Department, the Collector will review the report. The District Program Officer will report the difficulties, suggestions and recommendations (if any) regarding the scheme to the Commissioner, Women and Child Development Department.

(c) The decision of the District Collector will be final if a dispute arises regarding registration / benefit of the beneficiary at the district level under Section 8 of the Act.

(2) At the division level.-

The Divisional Joint Director, Women and Child Development Department will visit the planning records of the subordinate office of the District Program Officer and the Office of Child Development Project Officer in the inspections conducted from time to time. Also he will be able to give instructions for necessary corrective action in relation to plan implementation and record maintenance.

(3) At the state level.-

(a) If any discrepancy is found regarding the implementation of the scheme, the head of the department will send its recommendation to the state government to rectify the discrepancy.

(b) In case of any dispute or discrepancy arising in the implementation of the scheme at the state level, the decision of the head of the department, Women and Child Development Department will be final.

13. Directions by State Government.-

(1) The state Government may issue such directions from time to time for appropriate implementation of the yojna made under the Act and the rules, as it may think proper.

(2) The fund shall be kept separately by making provision in budget in year to year for all female children registered during the period of 1st April 2007 to the commencement of this Act under the yojna as beneficiary.

14. Validation of the Proceedings.-

All the proceedings made under administrative orders relating to the Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna of the State Government prevailing at present as begins from 1st April, 2007 and upto the commencement of this act and rules made thereunder, shall be deemed to be validated under the provisions of the act:

Provided that any action taken or order issued or madc under the Ladli Laxmi Yojna prior to the notification of these rules, in so far it is not inconsistent with the provisions of the act and rules made there under, deemed to have been taken or issued or made under shall be the provisions of these rules .

15. Non- compliance of the Act and the rules.- If any officer/institution or statutory body etc. who is responsible for registration and for providing pecuniary and other benefits of the scheme fails to comply with the provisions of the act and the rules framed there-under, the state Government may take action against such officer/ institution or statutory body etc. after due inquiry who is responsible or who is found negligent for effective implementation of the scheme under the Act.

16. Information, Education and Communication: -

The objectives of the Act will be fulfilled by the state government through street plays, slogans, brochures, posters, electronic media, print media, training programs, etc. at certain intervals to change the social behavior of the community.

17. On the consent of the girl child, she can be linked with the opportunities of self-employment. For this, the amount received by the beneficiary of Ladli Laxmi Yojana on 21 years can be used as margin money in various

government schemes or bank loans operated by the state government for economic empowerment. The economically strong girl child registered under the scheme will be able to set exemplary examples for the society, to eliminate the malpractices of beleiving the girl child as financial burden and the dowry system as well. The basic objective of Ladli Laxmi Yojana is to provide equal opportunities to girls for education and encourage them to become financially strong.

18. Social audit: -

In the context of accomplishing the objectives mentioned under the Act, the state government will conduct social audit through local bodies and social organizations. The social audit shall consist the following points :-

1. Changes in perception towards daughters in the society due to Ladli Laxmi Yojana.
2. Increase in sex ratio
3. Family to adopt family planning.
4. Abolition of female feticide and female childbirth.
5. To increase the school enrollment ratio of girls.
6. To increase enrollment of girls in higher and professional education.
7. End of dowry practice.
8. Economic empowerment of girls, i.e. increasing participation in the workforce.

Form-I
Ladli Laxmi Yojna
[See Rule 3 and rule 4 (1)]
(Beneficiary Registration form to be filled in duplicate)

Application form for registration of the beneficiary under Ladli Laxmi Yojna (to be filled in by parent / legal guardian / superintendent/ person in charge of child care institution)

To,

The Officer incharge of Registration center
Competent Authority
Block /Integrated Child Development Project
Tehsil--------
District ----------
Madhya Pradesh

To be affixed recent photo of female child with the mother/father

Sir,

I desire to register my daughter as beneficiary of the Ladli LaxmiYojna, the details are as under: -

1- Name of Female Child:
2- Name & Age of Mother :
3- Name & Age of father :
4- Occupation & annual income of family :
5- Residential address with pin code & mobile number :
6- (i) Date of Birth of Female Child (Certificate to be attached) –
(ii) Date on which female child entered in the Jail/child care institution. (To be filled in by person in charge Jail/Child care institution)
7- Number of siblings of the beneficiary:
8- Category of Beneficiary :
9- Vaccination Status of Beneficiary:
10- **Family Planning Detail (Not applicable for the first girl child)**
11- Aadhar number of Parents/Beneficiary:
12- Name of Aanganwadi Centre:

(a) Village
(b) Block /Project
(c) Tehsil
(d) District

13- Period during which residing in area of Aanganwadi centre.

14- Whether the Parents are income tax payee ....(yes/no)
15- Whether holding BPL card ....(yes/no)
16-**Family planning certificate belongs to one of the parents .... (Attach certificate issued by the authentic person/organization) (Not applicable for the first girl child)**

Declaration

A. I,............................ s/o....................and I.................. W/o.................................... do hereby, certify that I/we am/are not Income Tax payer. I/we also certify that all contents of the applications are true to the best of my knowledge and belief, if any information is found false or untrue, I/we shall be personally responsible and shall surrender all benefits in favour of Government.

B. I also certify that I have not submitted any application to any other Aanganwadi Centre or any Lok Seva Kendra or online registration or registration of my daughter's name as beneficiary.

I also declare that,-

(i) The marriage of the female child shall not be solemnized or performed before attaining the age of 18 years. (Affidavit should be filed in this regard)

Place: **Signature of the applicants**
(1) -------------------------
(2) ---------------------------

Date: **Full Address...............**

Attached Document:

1. Birth certificate... (document attached)
2. Domicile residence certificate. (ration card, voter card, identity if any and certificate issued by competent authority)
3. On being registered with the Aanganwadi centre the verification certificate is necessary of the supervisor/In-Charge of the Aanganwadi centre.

Place:- Signature or thumb impression of the applicant
Date:- Full Address.....................

Ladli Laxmi yojna

(Copy to be given to the parent of the beneficiary)

Form-II

Government of Madhya Pradesh
Women and Child Development Department

No .... **Date ....**

ASSURANCE CERTIFICATE

Under LADLI LAXMI YOJNA rule 6(3)

To be affixed recent photo of female child with the mother/father

Ladli Ku. -------- D/o Smt........... & Shri..................
Date of Birth --
Address----------------------- District --------------

Total sum Rs. 1,18,000/-

- the time of admission to class 6th Rs. 2000/- (Rupees Two Thousand)
- At the time of admission to class 9th Rs. 4000/- (Rupees Four Thousand)
- At the time of admission to class 11th Rs. 6000/- (Rupees Six Thousand)
- At the time of admission to class 12th Rs. 6000/- (Rupees Six Thousand)

and

- At the time of attaining age of 21 years Rs. 1,00,000/- (Rs. one lakh) :
  Provided that this benefit shall be subject to marrying after attaining age prescribed by the Government and participating in examination of class- XIIth.

Ladli No. ----------
Date -------------

Signature and seal
of
Sanctioning Officer

Swablambi Balika - Sashakt Samaj ka aadhaar

Ladli Laxmi Yojna
Form-II(A)
[See rule 6(3)]

OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY

Assurance Certificate

District-------

I have gone through the contents of application for registration of beneficiary (Female child) which has been forwarded by the officer-in-charge under sub rule (1) of rule 5 and subsection (2) of section 4 of the Act.

A. **I have decided that the application (photograph of beneficiary is enclosed) is complete in all respect and is accepted in favour of the beneficiary for sanctioning benefit under sub-sections (2) and (3) of section 5 of the Act. Therefor the assurance certificate is hereby issued to the parent of the beneficiary under sub-section (3) of section 4.**

1.

2.

3.

or

I have decided that the application for registration and sanctioning benefit deserves to be rejected on the following reason: -

(Reasons to be recorded)

1. -
2. -
3. -

B. --

Copy

1. **District Collector,**
2. **District Programme officer, Women & Child Development Deptt. M.P.**

Seal & Signature of
the Sanctioning officer

Ladli Laxmi Yojna

Form-III

(See rule 9)

PROFORMA OF THE REGISTER OF BENEFICIARY

S. No	Beneficiary Registration Number	Date of receipt of application	Name & Category of beneficiary	Name and address of parents of beneficiary	Date of birth of beneficiary	Date on which Assurance Certificate is issued	Date of E-payment made for time to time attested by the District programme officer women child development department
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Seal and Signature of
the Authorised officer

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अटूट, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2020

क्र. एफ–13–18–2020–बी–ग्यारह.– मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (कमांक 44 सन्1973) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः–

<u>संशोधन</u>

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 के नियम 4 के अंतर्गत बनाई गई वर्तमान अनुसूची के बिन्दु कमांक 1, 2, 3, एवं 4 के स्थान पर, निम्नलिखित संशोधन प्रतिस्थापित किये जाये, अर्थात :–

अनुसूची
(नियम 4 देखिए)
फीस

1.	धारा 7 के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण	सामान्य रूपये 5000/– तत्काल रूपये 8000/–
2.	धारा 7 के अधीन महिला <u>मण्डल/युवक</u> मण्डल का रजिस्ट्रीकरण	सामान्य रूपये 2000/– तत्काल रूपये 3000/–
3.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिसूचित अवैध कालोनियों के रहवासियों द्वारा गठित समितियों का रजिस्ट्रीकरण (यह प्रावधान अधिसूचना तारीख से 03 वर्ष के लिये लागू रहेगा)	विलोपित
4.	धारा 10 के अधीन प्रत्येक संशोधन	रूपये 2000/–

No. F-13-18/2020/B-11:: in exercise of the powers conferred by section 43 of the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Society Registrikaran Niyam, 1998, namely :-

AMENDMENT

In the rule 4 of Madhya Pradesh Society Registrikaran Niyam, 1998, for the existing schedule's point 1, 2, 3 & 4, the following amendments shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE"
(See Rule 4)
Fees

1.	Under Section 7 Registration of Society	Routine Rs. 5000/-
		Urgent Rs. 8000/-
2.	Under Section 7 Registration of Mahila Mandal/Yuvak Mandal	Routine Rs. 2000/-
		Urgent Rs. 3000/-
3.	Registration of societies constituted by residents illegal colonies notified by Urban Administration and Development Department (This provision shall be applicable for 3 Years from date of notification)	DELETED
4.	Under Section 10 each amendment	Rs. 2000/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2020.